तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी हुए
27.09.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम संख्या 1 फरीद खां को प्रस्तुत वाद पत्र की मद संख्या 5 में दिनांक 10 अगस्त 2009 से लापता जाहिर किया है, वादीगण द्वारा वर्ष 2018 में पेश दावा में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी क्रम संख्या 1 फरीद खां अपनी सकूनत तर्क करने के बाद लापता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में राज्य सरकार के प्रतिनिधि प्रतिवादी क्रम संख्या 2 लगायत 4 को भी पक्षकार बनाया गया है परंतु वाद पत्र में जो अनुतोष चाहा गया है, वह प्राइवेट पक्षकार प्रतिवादी क्रम 1 के विरुद्ध ही चाहा गया है। विवादित आराजी के बारे में कृषि भूमि की घोषणा से संबंधित अधिकारों का बिंदु निहित है। स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रम संख्या 1 के लापता हो जाने के कारण उत्तराधिकार का बिंदु प्रकरण में निहित होने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 व 108 के प्रावधानों के अनुसार लापता व्यक्ति को मृत घोषित करने की न्यायिक अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। फलस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बिना अधिकारिता प्रस्तुत किया जाना जाहिर होता है। वादीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रतिवादी क्रम संख्या 1 को लापता होने के कारण समुचित घोषणा सक्षम न्यायालय से प्राप्त किए जाने के पश्चात ही विवादित आराजी में किसी प्रकार के स्वत्व प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते हैं। चूंकि प्रतिवादी क्रम संख्या 2 लगायत 4 के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद क्षेत्राधिकार के बिंदु के आधार पर ही खारिज किए जाने योग्य है। अतः आदेश है कि वाद वादीगण न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। वादीगण सक्षम न्यायालय में प्रतिवादी संख्या एक के लापता होने के कारण उत्तराधिकारी होने संबंधी घोषणा प्राप्त करने हेतु चाराजोही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (निधि सिंह) उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी	

Scanned by CamScanner